अंग अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

बीजाराम **बनाम** देराजराम वगै.

मुकदमा संख्या 117 /2023

तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारण एड. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि. अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–प्रतिवादीगण/ विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 17/07/2023 को पेश हो। SDO सिणधरी	
17.7.23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महो. अवकाश प्रभाव पर होने से पत्रावली रखवा कर अग्रिम 25-7-23 को पेश हो। [signature] 17/7	अंति. बीजाराम [signature]
25.7.23	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु पत्री रजिस्ट्री नोटिस की जवाबी सहित प्रार्थी वकील द्वारा पेश की, जो नोटिस की [illegible] प्रति पर चस्पा हो। विप्रार्थीगण का इंतजार बाद पत्रावली तारीख 17.8.23 को पेश हो [signature]	

17/8/23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी जी अवकाश प्रस्थान पर है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण इंतजार दिनांक 26/9/23 को पेश हो।

26.9.23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप.। विप्रार्थीगण का इंतजार व्यर्थ पत्रावली वास्ते तारीख 2.11.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

2.11.23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी जि. / लो. सभा चुनाव बाबत दीगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण इंतजार दिनांक 12.12.23 को पेश हो।

12.12.2023 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उप0। विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार उप0।

विप्रार्थी सं. 1 व 2 को सुनवाई हेतु प्र्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। आवेदन पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के वकील की बहस है कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 148/1 रकबा 4.2230 हेक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारबाड़े आदि बने हुऐ जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ वक्त विभाजन पूर्व से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहा है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की भूमि के सेढे पर एकतरफ विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 148/2 आई हुई है जिससे प्रार्थी की तरफ

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

लगने वाले सेढ़े पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी करने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपने उक्त खसरा संख्या 148/1 की पैमाईश बाबत तहसीलदार सिणधरी के कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थीगण के विवाद के कारण कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सका इस प्रकार विप्रार्थीगण बार-बार प्रार्थी के खातेदारी के विधिक अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में बाधा कारित कर रहे है, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 अब प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि के सेढे को जबरदस्ती तोड़कर एवं माठ के पेड पौधे को काटकर को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नया निर्माण करना चाहते है तथा इसी क्रम में अरसा पांच दिन पूर्व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2, प्रार्थी के सेढे को तोड़ कर प्रार्थी की भूमि में हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने लगे तब प्रार्थी मौके पर गये तो विप्रार्थीगण विवाद कर चला गये एवं प्रार्थी को धमकी देकर गये है कि वह मौका मिलते ही प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर ओरडी का निर्माण करवा देगें तथा प्रार्थी को जबरन बेदखल कर देगे। यदि विप्रार्थी अपने नाजयाज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी के भूमि सेढों पर कदीमी काल से माठें स्थित है जिसे विप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर तोड कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने पर आमादा है इस बाबत कोई विधिक अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन किसी प्रकार की नहीं है। अतः प्रार्थी प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 148/1 रकबा 4.2230 हेक्टेयर में विप्रार्थीगण, उसके परिवार के सदस्य व अन्य किसी के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित न तो स्वयं करें तथा न ही से करावें तथा प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही प्रार्थी के खेत के सेढा माठ तोडने का प्रयास करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 148/1 रकबा 4.2230 हेक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारबाडे आदि बने हुऐ है। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त व सामलाती खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ वक्त विभाजन पूर्व से कदीमी माठें स्थित

सहायक कलक्टर
सिणधरी

है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहा है। कि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की भूमि के सेढे पर एकतरफ विप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 148/2 आई हुई है जिससे प्रार्थी की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार-बार दखलंदाजी करने की स्थिति में निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखली इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगिंया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 व 2 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 148/1 रकबा 4.2230 हेक्टेयर भूमि अवस्थित में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी